

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 2 : परिभाषाएं

- (क) "अधिनियम" से माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
 - (घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है;
 - (ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
-